कार्यालय- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह - 815316

फोन नं0– 06532-227847 मोबाईल नं0– 8987790308 ई–मेल :- dfo-giridihwest@gov.in, dfogiridihwest@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक 2065 / दिनांक 10 / 12 / 2024

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह

विषय :– **132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल में अपयोजित होने वाले वन भूमि के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 1223 दिनांक– 03.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण में अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल–झाडी भूमि के संबंध में प्रतिवेदन ऑनलाईन में संलग्न की गई थी। उक्त प्रतिवेदन में जंगल झाडी भूमि पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की गई अतिक्रमण के संबंध में अंचल अधिकारी, जमुआ को इस कार्यालय के पत्रांक– 2026 दिनांक– 26.11.2024 द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ वन क्षेत्र पदाधिकारी, जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र को भी अंचल अधिकारी, जमुआ से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है। अतिक्रमित जंगल–झाडी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक– 2064 दिनांक– 10.12.2024 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से भी अपने स्तर से अंचल अधिकारी, जमुआ को निदेशित करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे ऑनलाईन अपलोड करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न समर्पित की जा रही है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0– यथोक्त।

आपका विश्वासी

10/12/24

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

कार्यालय- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह – 815316

फोन नं0– 06532-227847 मोबाईल नं0– 8987790308 ई–मेल :- dfo-giridihwest@gov.in, dfogiridihwest@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक ..../दिनांक ..../............/2024

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह

विषय :– **132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल में अपयोजित होने वाले वन भूमि के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक– 2026 दिनांक– 26.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण में अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल–झाडी भूमि के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवंज जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा VIII बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है। आपत्ति बिन्दु सं0– VIII उक्त ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल–झाडी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है। उक्त स्थल का अतिक्रमण का स्थलीय जाँच करने पर जाँच के दौरान जंगल–झाडी भूमि पर वर्तमान में अवैध अतिक्रमण पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है। जंगल–झाडी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 2026 दिनांक– 26.11.2024 द्वारा अंचल अधिकारी, जमुआ से अनुरोध किया गया है। साथ ही इसकी प्रति वन क्षेत्र पदाधिकारी, जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र को देते हुए निदेशित किया गया है कि अंचल अधिकारी, जमुआ से सम्पर्क स्थापित कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित Transmission Line के निर्माण में अपयोजित होने वाले जंगल–झाडी भूमि पर ग्रामीणों द्वारा की गई अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु संबंधित अचंल अधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक– .... दिनांक– ..../.........../2024

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक– 2064 दिनांक– 10/12/2024

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्र पदाधिकारी, जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

Ankit Ky 10/12/24

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।